

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

सीता राम उपखाना बनाम सरकारी

धारा 136 वाद / प्रा०प० / अपील 23/18 प्र०सं० / 15

बाद जाँच वाद / प्रा०प० / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना बुलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 14.6.18 को पेश हो।

815/18
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

14.6.18

पत्रावली के क्रम में आजादा को पेश
वादी उपरिपत्र। वादी ने अपने पत्रावली पत्र
कलाप गण वि० ग्राम आजादा के खान
सं० 375, कुल विगत 9 हजल खानों 10 वर्षों
के अन्तर्गत में पत्रों का 12 हिस्सा है राजस्व
इन्फार्मि भगवाना पिता लाल अहीर वार
रखा है जबकि वादी आजादा के अन्तर्गत
पत्र अन्तर्गत वक्तों में वादी का नाम सीताराम
ही आता, उक्त खान में मंगल नाम भगवाना
पिता लाल के कलाप सीताराम पिता
लाल अहीर विगत आया।

पत्रावली के क्रम पर मोकदा जाँच
भगवाना गड पारवारी हलवा ने अपील
मोकदा पत्रों में कलाप गण है कि वादी सीताराम
उक्त भगवाना पिता लाल अहीर नि० आजादा
का भगवाना तथा सीताराम दोनों ही नाम से
जाना जाता है तथा भगवाना उक्त सीताराम
नाम का एक ही व्यक्ति है। इस धरे लाइ
ग्राम केवापत आजादा ने भी अपने पत्रों
प्रमाण पत्र में लाइ का नाम है।

अतः वादी का वाद पत्र प्रस्तुत करने पर
भावना रिपोर्ट का अन्तर्गत विगत गण

वादी वातावरण स्वीकार किया जा
 कर तदुत्तरीयकार को आदेश दिया
 जाता है कि ग्राम को छोड़ना भी
 आशुजी नामक 749, 755, 761, 1169,
 1170, 1562, 1563, 1564 व 1572
 विलास स्वामी 10 बीघा 2 किराणा
 एवं ~~10~~ 20 बीघा में स्वामीदार
 भगवाना पिता लाला केव जाप
 सोतराम पिता लाला सुदीर
 राजरु स्वामी नाम में आंखिल नाम
 लिखा जारी है।

आज दिनांक 14.6.1964
 को स्वामी को छोड़ना में निर्णय करे आम
 सुनताया गया।
 पत्रावली पराल सुमार हार
 नाम से नाम है।



मूल बाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हमीरगढ

काठ नाम्य भोजपाडा

पीठासीन अधिकारी:- रामावतार, आर0ए0एस0

उनवान
श्री सीताराम उपे भगवान पुत्र लाला अछेर सिंह भोजपाडा
वत्स

लक्ष्मीलाल हमीरगढ
परवार है. भोजपाडा

प्रतिवादी

दावा बाबत..... 136 AT. 17

मुकदमा नम्बर :- 23/18

निर्णय दिनांक :- 14.6.18

वादी की ओर से उपे की व प्रतिवादी की ओर से उपे की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.6.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) रामावतार, आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

लक्ष्मीलाल को आदेश दिये जाते हैं कि
गाम भोजपाडा की आसपास जम्बा 749, 755,
761, 1169, 1170, 1562, 1563, 1564 व 1572,
विता 09 रूपका (0 कीडा 0 शंकरवा) एवं
आ.न.म.श. में स्वामिदार भगवान पिता लाला
के व जाप सीताराम पिता लाला अछेर
शंकरवा के व नाम अंकित किया
जावे।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ